S.G.G. Government College, Banswara(Raj.)
श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बाँसवाड़ा

(NAAC ACCREDITED B)

दूरभाष नं- **02962-254022**
फैक्स नं- **02962-254022**

(Education Gives Culture)

Prospectus
विवरणिका
2022-23

संरक्षक

डॉ० सीमा भूपेन्द्र (कार्यवाहक प्राचार्य)

Web :http://www.hte.rajasthan.gov.in/college/gcbanswara/
e-mail :govtcollegebsw@gmail.com

प्राचार्य, श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बाँसवाड़ा के अधिकार से प्रकाशित

प्राचार्य की कलम से -------

प्रिय विद्यार्थियों,

नव शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इस महाविद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।

आप अनेकानेक आशाओं के साथ इस महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। आपके माता–पिता, समाज एवं राष्ट्र को भी आपसे कई आशाएँ एवं अपेक्षाएँ हैं।

यह सत्र इन सभी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला, शैक्षणिक उपलब्धि दायक, मानसिक, शारीरिक एवं चारित्रिक विकास दायक हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है।

अध्ययनरत रहते हुए आप यहाँ ज्ञान उपार्जित करें, चिन्तन करें, ठोस मर्यादित विश्वासपूर्वक एवं विनयपूर्वक बोलें। आप अपने बौद्धिक विकास के साथ–साथ मानसिक, शारीरिक एवं चारित्रिक विकास करें।

राष्ट्र को संस्कारवान, चरित्रवान, निष्ठावान युवाओं की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है, आप समाज एवं राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आप अपने में छिपी प्रतिभा को बाहर लाएँ व उसे निखारें । अपना लक्ष्य निश्चित करें और आगे बढ़ें।

आपके उन्नत, यशस्वी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ।

डॉ. सीमा भूपेन्द्र
प्राचार्य

अनुक्रमणिका

1.	महाविद्यालय : एक परिचय	4
2.	महाविद्यालय विकास समिति	4
3.	मॉडल कॉलेज	5
4.	प्रवेश सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ	5
5.	पाठ्यक्रम	8
6.	उपस्थिति	9
7.	छात्रवृत्तियाँ–नियम,पात्रता, राशि आदि	9
8.	अन्य वित्तीय सुविधाएँ	13
9.	बस/रेलवे कन्सेशन	14
10.	अनुशासन	14
11.	पुरस्कार एवं प्रशंसा–पत्र	14
12.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	15
13.	छात्रकल्याण कार्यक्रम : विविध गतिविधियाँ एवं विशिष्ट प्रकोष्ठ	16
14.	नवाचार एवं कोशल विकास प्रकोष्ठ	17
15.	विभिन्न शैक्षणिक परिषदें	18
16.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र	18
17.	महाविद्यालयी अधिकारी एवं कर्मचारी	20
18.	कार्यालय एवं प्रयोगशाला कर्मचारी, सहायक कर्मचारी	22
19.	प्रवेश समिति एवं अन्य समितियाँ/प्रकोष्ठ	23
20.	उपलब्ध सीट स्थिति(Seat Matrix)	25

महाविद्यालय : एक परिचय

श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बाँसवाड़ा अपनी गौरवपूर्ण परम्पराओं एवं विशिष्ट उपलब्धियों के कारण राजस्थान का एक श्रेष्ठ महाविद्यालय है। इसकी उत्कृष्ट शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक उपलब्धियों के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे मॉडल कॉलेज का दर्जा भी दिया गया है।

इस महाविद्यालय की स्थापना 1950 में इण्टर कॉलेज के रूप में हुई। सन् 1958 एवं सन् 1977 में यह क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत हुआ। नगर से तनिक दूर, प्राकृतिक परिवेश में, विस्तृत क्रीडांगण के समीप अवस्थित इस महाविद्यालय का विशाल एवं भव्य भवन इसे एक आकर्षक रूप प्रदान करता है।

शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त वातावरण में निरन्तर विकास की ओर अग्रसर यह महाविद्यालय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं से युक्त सह–शैक्षणिक संस्था है। आचार्यों की प्रेरणा एवं मार्ग–दर्शन, जहाँ एक ओर यहाँ के विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं, वहीं यहाँ के विद्यार्थियों का शालीन व्यवहार एवं श्रेष्ठ अनुशासन इस संस्था को गौरव भी प्रदान करते हैं। यहाँ से शिक्षा प्राप्त, वर्तमान में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित, अनेक पूर्व विद्यार्थी इस महाविद्यालय के गौरव बिन्दु हैं।

सतत् अध्ययन–अध्यापन, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों में स्वाभाविक रुचि तथा उत्कृष्ट उपलब्धियाँ, विद्यार्थियों में परस्पर सहज स्नेह, कुशल प्रशासन आदि इस महाविद्यालय की अपनी विशेषताएँ हैं।

इस महाविद्यालय का मूल्यांकन यू.जी.सी. की नैक टीम द्वारा किया गया है, जिसमें इसे Bका गौरवपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ है।

महाविद्यालय विकास समिति–यह एक पंजीकृत समिति (क्रम संख्या 31/बाँसवाड़ा/ 2001–02/दिनांक 02.03.2002) है। महाविद्यालय की चल–अचल सम्पत्तियों के संग्रहण, स्थायी कोष– निर्माण, प्रबन्धन एवं इसमें वृद्धि हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एक विकास–समिति का गठन किया गया है, जो महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के शुल्क–निर्धारण, उन्हें आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि कराना, उन्हें संवर्धित करना, महाविद्यालय परिसर को आकर्षक बनाए रखने हेतु कार्रवाई करना, जनसहयोग, सांसद, विधायक मद की सहायता राशि द्वारा महाविद्यालय परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराना आदि सर्वांगीण विकास विषयक गतिविधियों को परिचालित करती है। इस समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण इस प्रकार हैं :–

प्राचार्य (कार्यवाहक)	**डॉ. सीमा भूपेन्द्र**	अध्यक्ष
सांसद	श्री **कनकमल कटारा**	सदस्य
विधायक	श्री **अर्जुन सिंह बामनिया**	सदस्य
जिला प्रमुख	श्रीमती रेशम मालवीया	सदस्य
जिला कलेक्टर प्रतिनिधि	उपखण्ड अधिकारी (पदेन)	सदस्य
राजकीय प्रतिनिधि	क्षेत्रीय सहायक निदेशक (पदेन)	सदस्य
दो स्थानीय शिक्षाविद्	(क) प्रो. बी. एल. दोसी	सदस्य
	(ख) प्रो. पी. एल. शर्मा	सदस्य
दो प्रबुद्ध नागरिक	(क) (नाम प्रतीक्षा में)	सदस्य
	(ख) (नाम प्रतीक्षा में)	सदस्य

उपाचार्य	रिक्त	सदस्य सचिव
प्राचार्य द्वारा मनोनीत	डॉ. मनोज पंड्या	कोषाध्यक्ष
दो अभिभावक सदस्य	(क) **सत्रारंभ में मनोनित**	सदस्य
	(ख) रिक्त	सदस्य
दानदाता ट्रस्टी	(क) अधिशासी निदेशक (पदेन) (अध्यक्ष मयूर मिल, लोधा)	सदस्य
	(ख) (अध्यक्ष,बाँसवाड़ा सिंटेक्स लि.)	सदस्य
	(ग) श्री धीरेन्द्र भट्ट (डीजल्स एण्ड डीजल्स)	सदस्य
छात्र–प्रतिनिधि	छात्र–संघ अध्यक्ष (पदेन)	
विशेष आमन्त्रित सदस्य	(क) वरिष्ठ संकाय सदस्य, पदेन	
	(ख) संयोजक–यू.जी.सी., पदेन	
	(ग) संयोजक–RUSA पदेन	
	(ग) अधिशासी अभियंतासार्वजनिक निर्माण विभाग, पदेन	
	(घ) लेखाकार, पदेन	
	(ड) सभापति नगर परिषद, पदेन	
	(च) कार्यालय अधीक्षक, पदेन	
	(छ) भण्डारपाल, पदेन	

मॉडल कॉलेज

इस महाविद्यालय को जनजातीय क्षेत्र का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। सत्र 2022-23 में अध्ययनरत 7304 विद्यार्थियों में से 78 प्रतिशत विद्यार्थी जनजाति वर्ग के हैं। उच्च–शिक्षा की विपुल संभावनाओं एवं जनजातीय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने` मॉडल कॉलेज के रूप में दस महाविद्यालयों में इस महाविद्यालय का भी चयन किया है।

मॉडल कॉलेज की अवधारणा से अभिप्राय उच्च शिक्षा के श्रेष्ठतम केन्द्र के रूप में इस महाविद्यालय के विकास से है, जिसे **''सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस''** नाम दिया गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकासक वोकेशनल पाठ्यक्रमों का संचालन, नॉलेज सेण्टर की स्थापना, अंग्रेजी भाषा कौशल हेतु लेंग्वेज लेब की स्थापना, खेलों एवं खेल–मैदान का विकास, महाविद्यालय भवन हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, छात्राओं के लिए समुचित सुविधाओं का विकास, पीने के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता,कैरियर काउंसलिंग सेल की स्थापना, प्लेसमेंट सेल की स्थापना, ट्राइबल स्टडी सेण्टर की स्थापना आदि अनेकानेक योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करना है।

इस योजना की क्रियान्विति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि द्वारा नोलेज सेंटर हेतु कक्ष निर्माण, लेंग्वेज लेब की स्थापना, महाविद्यालय भवन की मरम्मत, रंग–रोगन, परिसर सौन्दर्यीकरण, प्रयोगशालाओं का विकास आदि अनेकानेक कार्य सम्पन्न कराए गए। पूर्व विद्यार्थियों की एक महाविद्यालय पूर्व छात्र परिषद (एलुमिनी एसोसिएशन) का भी गठन कर लिया गया है एवं विकास हेतु कार्यरत है।

प्रवेश सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ

- स्नातक प्रथम वर्ष **कृषि विज्ञान अतिरिक्त** सभी संकाय प्रवेश OAP (Online Admission Process) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाएगा इस संम्बन्ध में समस्त जानकारी प्रवेश नीति 2022-23 द्वारा ली जा सकती है।
- प्रथम वर्षकला में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विशविद्यालय के **अनुसार निम्न** वैकल्पिक विषयों के रूप में लेने होंगे :–

1. अर्थशास्त्र, संस्कृत, संगीत
2. भूगोल, दर्शन–शास्त्र
3. राजनीति–विज्ञान, उर्दू, चित्रकला
4. इतिहास, वन संसाधन एवं उनके उपयोग
5. हिन्दी, गृह–विज्ञान
6. समाजशास्त्र, अंगेजी

कोई भी विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षाओं वाले विषय संगीत, भूगोल, चित्रकला, वन संसाधन एवं उनके उपयोग और गृहविज्ञान में से दो से अधिक विषय नहीं ले संकेगा। इसी प्रकार दो से अधिकसाहित्यविषय : संस्कृत, उर्दू हिन्दी, एवं अंग्रेजी वैकल्पिक विषयों के रूप में नहीं ले संकेगे।

नोट :– प्रवेश फार्म में प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थी वैकल्पिक विषयों के अन्तर्गत वरीयताक्रम में 5–6 समूहअवश्य भरे, जिससे की विषय विशेष में स्थान उपलब्ध न होने की स्थति में उन्हे वरीयता के अनुसार विषय दिये जा सके। इस बात का ध्यान रखे की विषय भी उक्त समूहों एवं शर्तो के अनुसार ही विषय का चयन पहले ही सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि विषय परिवर्तन सामान्य–प्रक्रिया से सम्भव नहीं हो पाएगा।

नोट :–कृषि संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये B.Sc.Ag. में प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JET) के माध्यम से किया जाता हे। इसके लिए महाविद्यालय मे 60 सीट निर्धारित हें।

स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के सभी प्रवेश इस सत्र 2022-23 OAP (Online Admission Process) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किये जाएंगे।

- ऑनलाइन प्रवेशसंम्बन्धी समस्तप्रक्रिया हेतु विद्यार्थी वेबसाइट **http://www.hte.rajasthan.gov.in/** का अवलोकन कर ऑनलाइन आवेदन करें।
- स्नातकोत्तरपूर्वार्द्धमें उपलब्ध विषय–

ARTS FACULTY	SCIENCE FACUTY	COMMERCE FACULTY
Hindi	Botany	A.B.S.T.
English	Chemistry	Business administration
Sanskrit		B.B.E.
Political Science		
Geography		
Socioogy		
Economics		

प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होने आवश्यक हैं :–

(क) अर्हकारी परीक्षा की दो सत्यापित अंकतालिकाएँ तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र ।

(ख) चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति (शुल्क जमा करवाते समय मूल चरित्र प्रमाण–पत्र जमा कराने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।)

(ग) विश्वविद्यालय/बोर्ड परिवर्तन का मूल प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) जो विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं (यदि हाँ) अन्यथा प्रवेश के पश्चात् एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(घ) यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का है, तो उसकी पुष्टि हेतु जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी दण्डनायक के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी विगत एक वर्ष में जारी प्रमाण पत्र (नॉन क्रीमीलेयर) ही प्रस्तुत करे, ऑनलाईन सबमिट करे इसके अभाव में OBC/SBC आरक्षण के सम्बंधित लाभ देय नहीं होगेA**

(ड.) जिनके अभिभावक राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं, जो आयकर दाता नहीं हैं, तो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र देने पर उनसे शिक्षण–शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(च) आय का विवरण–पत्र ।

(छ) खेल आदि में विशेष–योग्यता का प्रमाण–पत्र जिसके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

(ज) एम.एससी. पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे हुए तीन लिफाफे (9''×4'') भी संलग्न करें।

(झ) प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं का पता लिखे हुए तीन पोस्ट कार्ड आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें।

(ञ) बी. पी. एल. सर्टिफिकेट की दो सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें ।

- समस्त कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ सैकेण्डरी परीक्षा के सर्टिफिकेट की दो सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, उनके नाम कॉलेज के सूचना–पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक प्रकाशित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त विद्यार्थियों को निश्चित तिथि तक शुल्क जमाकरा–कर प्रवेश–पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड ले लेने चाहिए। **निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।**
- प्रवेश हो जाने पर बैंक चालान फीस/रसीद/ की प्रति प्रस्तुत कर कार्यालय से अपना परिचय–पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर लें। परिचय पत्र महाविद्यालय में सदैव अपने पास रखना होगा।
- आवेदन–पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया/उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया/प्रवेश आवेदन–पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई/महाविद्यालय के नियमों का उल्लघंन किया/अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किये, तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
- सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति–पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में कॉशनमनी वापस नहीं ली जाने की स्थिति में वह राजकीय कोष में जमा करा दी जायेगी।
- प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी आवेदन–पत्र को अस्वीकार कर दें/प्रवेश निरस्त कर दें।

- प्रत्येक विद्यार्थी को नियमितरूप से महाविद्यालय सूचना–पट्ट देखना चाहिए, अन्यथा कोई भी सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
- एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रोवरिंग व रेंजरिंग (स्काउटिंग) में प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना–पट्ट देखें।
- विद्यार्थी, समन्वयक युवा कौशल प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें तथा प्राथमिकता आधारित अपनी गतिविधि सुनिश्चित करें ।
- विद्यार्थी वैकल्पिक विषयों का चयन सोच समझकर करें। एक बार चुने गये विषयों में सामान्यतः परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है।

❖यदि किसी प्रवेशार्थी को आशंका हो कि कम प्राप्तांक के कारण उसका संकाय विशेष में चयन नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में वह प्रवेशार्थी, यदि किसी अन्य संकाय में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो, वह उस संकाय हेतु अलग से आवेदन–पत्र जमा कराएँ। एक संकाय से दूसरे संकाय मेंप्रवेश फार्म स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। प्रवेशार्थी वरीयता क्रम से प्रथम वरीयता संकाय के प्रवेश–पत्र के साथ अपेक्षित प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें तथा अन्य संकाय के प्रवेश–पत्र में अन्य पूर्तियों के साथ इस तथ्य का भी उल्लेख कर दें कि प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित प्रतियाँ (संकाय के नाम में) प्रवेश हेतु भरे गये अन्य प्रवेश–प्रत्र के साथ संलग्न हैं।

- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में भी यदि किसी प्रवेशार्थी को कम प्राप्तांक के कारण प्रवेश न होने की आशंका हो तो वह भी वरीयता क्रम से अन्य विषय हेतु अलग से प्रवेश–पत्र भरे तथा प्रथम विषय में प्रवेश–पत्र के साथ प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित प्रतियाँ संलग्न कर अन्य प्रवेश–पत्रों में इस तथ्य का उल्लेख कर दें।
- महाविद्यालय में उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित अण्डर टेकिंग प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम / द्वितीय / स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं। यह प्रपत्र निर्धारित शुल्क देकर महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रवेश तभी पूर्ण माना जाएगा जब विश्वविद्यालय से उसे स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी।
- परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में दूसरा परिचय–पत्र प्राप्त करने हेतु 50 / – (पचास रूपये) जमा कराने होंगे। परिचय–पत्र प्रतिवर्ष नया प्राप्त करना होगा।
- अध्ययनकाल में यदि कोई विद्यार्थी आर्थिक लाभ वाला कोई कार्य कर रहा है तो इसकी लिखित सूचना महाविद्यालय को अनिवार्य–रूप से देनी होगी।
- विज्ञान संकाय के स्वयंपाठी विद्यार्थी को प्रयोगशालाओं में या अन्य विभागों में प्रयोगात्मक कार्य करने की सुविधा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय प्रशासन बाध्य नहीं है।
- महाविद्यालय परिसर में दीवारों को खराब करना, वर्जित सामग्री चिपकाना दण्डनीय है। फूलों, पत्तियों एवं अन्य वस्तुओं को हानि पहुँचाने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- **रेगिंग दण्डनीय अपराध है। राज्य सरकार एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार यह दुष्प्रवृत्ति पूर्णतया वर्जित है। ऐसे विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर पुलिस को सुपूर्द किया जाएगा।**
- शैक्षणिक शाखा द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न कार्य टी.सी. / चरित्र प्रमाण–पत्र, डिग्री प्राप्त करना आदि कार्य निश्चित समय में निश्चित काउण्टर से ही किये जायेंगे।

पाठ्यक्रम

यह महाविद्यालय परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम की दृष्टि से **गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा** से सम्बद्ध है, अतः समस्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा इन विश्वविद्यालयों के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार होंगे एवं

कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम **महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** द्वारा निर्धारित होगा। विद्यार्थी पुस्तकालय में सम्बन्धित पाठ्यक्रम देख लें।

स्नातकोत्तर कक्षाएँ

इस महाविद्यालय में निम्नांकित विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित है :–
स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम संख्या विषय के आगे अंकित हैं –

कला संकाय

हिन्दी	60
संस्कृत	60
अंग्रेजी साहित्य	60
अर्थशास्त्र	60
राजनीति विज्ञान	60
समाज शास्त्र	60
भूगोल	60

विज्ञान संकाय

रसायन शास्त्र	30
वनस्पति शास्त्र	30

वाणिज्य संकाय

लेखांकन एवं सांख्यिकी	A.B.S.T.	60
व्यवसाय प्रशासन	BUS. ADM.	60
बैंकिग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र	B.B.E.	60

उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में प्रत्येक विषय में, कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। **(पत्र क्र. F.AC/Gen/MLS.U/2010 4.305 Dt. 17.5.10)**
2. महाविद्यालय की ओर से एन. सी. सी., स्काउटिंग, रोवरिंग/रेंजरिंग, राष्ट्रीय सेवा योजना, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने या प्रतियोगिता हेतु अन्यत्र जाने की स्थिति में उन्हें उन दिनों की उपस्थिति दी जायेगी। इस हेतु विद्यार्थी को सम्बद्ध प्रभारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. जिन छात्रों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के आरम्भ में ही प्रवेश **की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए**। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्यापन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जाएगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनकानियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
4. सत्र के मध्य में स्थानान्तरित होकर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अपने पूर्व के महाविद्यालय की उपस्थिति का अभिलेख लाना होगा।
5. **75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी।**
6. यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होने में अत्यधिक अनियमितता एवं उपेक्षा दिखाता है, तो प्राचार्य सत्र के मध्य में ही उसका नाम महाविद्यालय से हटा सकते हैं या उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।
7. अपनी उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी का सम्पूर्ण दायित्व विद्यार्थी का है।

परिचय–पत्र

1. परिचय–पत्र को पूर्णरुप से स्पष्ट भरकर प्राचार्य/उपाचार्य के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है ।

2. परिचय–पत्र पर विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर आवश्यक है ।

3. परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में दूसरा परिचय–पत्र प्राप्त करने हेतु 50 रु. जमा कराने होंगे तृतीय परिचय–पत्र विशेष परिस्थिति में ही दिया जायेगा तथा उसके लिए 80 रु. जमा कराने होंगे।

4. परिचय–पत्र प्रति सत्र नया प्राप्त करना होगा ।

छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य सुविधाएँ

1. **समाज कल्याण– विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ**

   (अ) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति :–

   समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एस.बी.सी. एवं ओ. बी.सी. के बी.पी.एल. के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2. **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अ. जजा. छात्रों को देय छात्रवृत्तियाँ**

   (अ) छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा सहायता राशि

   (ब) बोर्ड/विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रतिभावान् छात्रवृत्ति

   (स) गृह किराया राशि का पुनर्भरण

1. पात्रता

(क) केवल वे ही छात्र जो राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों।

(ख) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने लगें, जैसे – बी. ए. करने के बाद बी. कॉम. या एक विषय में एम.ए. करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगें, ऐसे विद्यार्थी इसके पात्र नहीं होंगे।

(ग) नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप मे अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

(घ) एक ही माता/पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(ङ.) कोई अन्य छात्रवृत्ति दी जाती है तो पात्रता नहीं होगी।

(च) अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति देय नहीं है ।

2. राशि

छात्रवृत्ति की राशि के लिए 4 समूह निर्धारित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं –

समूह	**छात्रावास**	**अछात्रावास**
समूहI	1200	550
(तकनीकी प्रबन्धन, लेखा एवं शोध उपाधियाँ)		
स्मूहII		
सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	820	530
– तकनीकी, व्यावसायिक एवं लेखा अध्ययन		
स्मूहIII		
समूहIएवं **समूह** II के अतिरिक्त	570	300
सभी प्रकार की गैर तकनीकी स्नातक उपाधियाँ		
समूहIV		

(सभी उत्तर माध्यमिक पाठ्यक्रम जिनकी न्यूनतम योग्यता दसवीं हैं, उपर्युक्त तीनों समूहों के अतिरिक्त)	380	230

3. आय जाँच

(क) माता–पिता की वार्षिक आय रू. अ.जा. 2.**5** लाख, अ.ज.जा. 2 लाख, अ.पि.व. 2 लाख, वि.पि.व. 2 लाख रुपये वार्षिक आय तक होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान

(ख) अभिभावकों की वार्षिक आय रू. उपर्युक्त सीमा से अधिक होने पर कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(ग) **नवीनीकरण**– अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसके लिए छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता अत्यन्त आवश्यक है।

(घ) **भुगतान**– छात्र का चयन जाँच के आधार पर किया जायेगा, इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जाएँगे। छात्रवृत्ति का भुगतान धनराशि उपलब्ध होने पर विद्यार्थी के बैंक खाते में परीक्षा पूरी होने तक किया जाएगा।

(ड.) विद्यार्थी का आचरण असन्तोषजनक होने/झूठी घोषणा करने/भुगतान किये जाने पर भी प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

4. आवेदन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में देय होगा, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएँ जरूरी हैं –

(क) पासपोर्ट साईज फोटो ।

(ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं के डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ।

(ग) जाति प्रमाण–पत्र (तहसीदार से नीचे स्तर के अधिकारी का न हो) ।

➢ **अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी विगत छ: माह में जारी प्रमाण पत्र (नॉन क्रीमीलेयर) ही प्रस्तुत करेA**

(घ) आय घोषणा–पत्र (छः माह से अधिक पुराना न हो) ।

1. सभी स्तर पर केवल तहसीलदार द्वारा जारी सभी स्रोतों से एक निश्चित आय का वर्णन करते हुए स्वनियोजित माता–पिता/अभिभावकों द्वारा आय प्रमाण–पत्र ।
2. **नियोजित माता–पिता/अभिभावकों को अपने नियोजकों से आय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

ब. समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता :–

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रुपये प्रतिमाह)
समूह– क, ख, ग	150
समूह– घ	125
समूह– ड.	100

(ख) छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हो तो विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 100/–रुपये भत्ते का प्रावधान।

(स) दिव्यांग के लिए छात्रवृत्ति

अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (आर्थोपीडिकली हैण्डीकेप्ड) छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(2) आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ।
2. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति।
3. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति।
4. महिला योग्यता छात्रवृत्ति।
5. स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को छात्रवृत्ति।
6. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति।
7. उर्दू छात्रवृत्ति।
8. भारत, पाक एवं चीन युद्ध में मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति।
9. ललित कला छात्रवृत्ति (संगीत संस्थान, जयपुर)
10. ललित कला छात्रवृत्ति (राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स)
11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को महिला छात्रवृत्ति।

उपर्युक्त बिन्दु 2 की छात्रवृत्ति के आवेदन–पत्र निदेशालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी मार्गदर्शन

छात्र नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूअल) छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित आवेदनपत्र में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें जिसमें निम्नलिखित बातें मुख्य हैं –

1. जिन छात्रों ने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने एक स्तर का कोर्स पूरा किया है, आगे अध्ययन हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. एवं स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें फ्रेश (नवीन) छात्रवृत्ति के आवेदन–पत्र भरने होंगे।
2. जिन छात्रों ने इस विश्वविद्यालय से गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त की है, उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे।
3. छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति के नियम की अनिवार्यता का कठोरतापूर्वक पालन किया जाएगा। अतः सभी कक्षाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
4. पूर्व छात्र (Ex. Student) के रूप में उत्तीर्ण छात्र अगली कक्षा में नियमित प्रवेश पर नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने पर ही छात्रवृत्ति का अधिकारी होगा।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र को बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र एवं गत परीक्षा की अंक तालिका प्रस्तुत करनी होगी।
6. छात्रवृत्ति के पात्र समस्त विद्यार्थियों को नूतन/नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो पृथक् से महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

(अ) आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

क्र.सं.	**छात्रवृत्ति**	**पात्रता**	**आय सीमा**		**दर प्रतिमाह**	
					छात्रावास	अछात्रावास
1	2	3	4		5	6
1.	राष्ट्रीय	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या	माता – पिता की	पार्ट I	100	60

	छात्रवृत्ति	विश्वविद्यालय में योग्यता सूची में आने पर तथा अन्य छात्रवृत्ति धारक न होने पर नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर	कुल वार्षिक आय 25000 रु. से अधिक न हो स्नातक, पार्ट II - III) अध्ययन हेतु आय सीमा नहीं)	पार्ट II पार्ट III	120	90
				स्नातकोत्तर	300	120
2.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होंने शिक्षा बोर्ड सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी / उपाध्याय या किसी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता–पिता की कुल वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक न हो	पार्ट I पार्ट II-III स्नातकोत्तर	200 280 600	120 180 240
3.	अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	सैकेण्डरी या सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण एवं माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर द्वारा चयनित। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता – पिता की कुल वार्षिक आयक्रं. सं. 1 के अनुसार 25 हजार रु. से कम हो।			
4.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	सीनियर सैकेण्डरी अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।	अभिभावकों की वार्षिक आय रु. एक लाख तक	(पार्ट I) (पार्ट–II,III) (पिछली कक्षा में50% अंक अनिवार्य)	200 180	120 120
				(स्नातकोत्तर)	600	240
5.	स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों एवं पोतों को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान के स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चे अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	वार्षिक आय 14,400			60
6.	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुए मृत कर्मचारी के बच्चों को उच्च शिक्षा में देय छात्रवृत्ति, अध्ययनरत बच्चों के लिए	कोई आय सीमा नहीं	500 रु. स्नातक स्तर पर 750 रु. स्नातकोत्तर स्तर पर		
7.	उर्दू छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर पर राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को 50 प्रतिशत अंकों के साथ महाविद्यालय से उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ने पर तथा स्नातकोत्तर स्तर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र / छात्रा को उर्दू विषय लेकर पढ़ने पर ।	कोई आय सीमा नहीं	100 रु. स्नातक स्तर पर । 150 रु. स्नातकोत्तर स्तर पर ।		
8.	भारत, पाक चीन युद्ध मे मृत सैनिक के बच्चों / विधवाओं विधवाओं को छात्रवृत्ति	उन युद्धों में मृतक या अपंग सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को, जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत है।	आयकर दाता नहीं हो ।	100	60	

9. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर।	आयकर दाता नहीं हो।	150

छात्रवृत्ति के सन्दर्भ में विद्यार्थी ध्यान दें :–

अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों सम्बन्धी पूर्ण विवरण सूचनापट्ट पर यथासमय देखते रहें।

अति आवश्यक :

छात्र/छात्रा बाँसवाड़ा शहर के किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा लें तथा अपना बैंक खाता संख्या मय ifsc कोड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न करें। छात्रवृत्तियों का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा।

अन्य वित्तीय सुविधाएँ :–

- ❖ वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के अतिरिक्त, किसी कक्षा के विद्यार्थियों में से 10 प्रतिशत को पूर्ण तथा 10 प्रतिशत को अर्द्धशुल्क से मुक्त किया जा सकता है।
- ❖ निर्धन अनुसूचित जाति/जनजाति तथा योग्य विद्यार्थी की सहायता की दृष्टि से महाविद्यालय बुक बैंक से सत्र भर के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

नोट : 1. एक विद्यार्थी को एक से अधिक वित्तीय सुविधा नहीं दी जायेगी।

2. प्राचार्य को यह अधिकार है कि सन्तोषजनक आचरण व प्रगति के अभाव में सम्बद्ध विद्यार्थी की छात्रवृत्ति निरस्त कर दें।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना :–(संप्रति यह योजना स्नातक स्तर पर जारी है।)

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें –

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो ।
2. राजस्थान का मूल निवासी हो ।
3. परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये अथवा कम हो ।
4. भारत/राजस्थान सरकार से अन्य छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नही ले रहे हो। यदि हाँ तो अपने महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी से सम्पर्क करें ।
5. उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति आवेदक **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा**में ही खाता खुलवाएँ।
6. यह छात्रवृत्ति 500 रु. प्रतिमाह की दर से 10 माह तक भुगतान की जाती है ।

बस/रेलवे कन्सेशन

यह सुविधा निम्नांकित अवस्थाओं में उपलब्ध है :–

1. दशहरा, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रवेश पत्र पर अंकित अपने स्थाई निवास स्थान पर जाने एवं आने हेतु।
2. संस्था द्वारा शैक्षणिक भ्रमण आयोजित होने पर ।
3. संस्था से 50 कि. मी. की परिधि में स्थित निवास स्थान से अध्ययन हेतु प्रतिदिन आने जाने के लिए।

नोट : कन्सेशन हेतु विद्यार्थी को अपना परिचय–पत्र साथ रखना अनिवार्य है।

अनुशासन

- ❖ महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी सुसंस्कृत आचरण करे तथा साथियों के प्रति शालीन, सम्मानपूर्ण व्यवहार अपनाए।
- ❖ प्रत्येक कार्य में पंक्तिबद्धता के नियम का अनुसरण करें।
- ❖ अपने वाहन स्टेण्ड पर ही रखें।
- ❖ असंतोषजनक व्यवहार/अनुशासनहीनता की स्थिति में कठोरतम दण्ड का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत चेतावनी/आर्थिक दण्ड/निलम्बन/निष्कासन आदि संभव है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी के विरूद्ध विश्वविद्यालय के अनुदेश 88 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

पुरस्कार एवं प्रशंसा–पत्र

1. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय में विविध प्रकार की साहित्यिक/सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा विजेता प्रतियोगी को पुरस्कारवितरण समारोह में पुरस्कृत किया जाता है।
2. अध्ययन की दृष्टि से प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्त्ता विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जाता है।
3. श्रेष्ठ खिलाड़ी व एथलीट का पुरस्कार, खेल समिति की अनुशंसा पर, प्राचार्य की स्वीकृति से प्रदान किया जाता है।
4. श्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट, एन.एस.एस., स्वयंसेवक/स्वंयसेविका/रोवर्स/रेंजर्सव पुस्तकालय का सर्वाधिक उपयोग करने वाले विद्यार्थी को भी प्रशंसा–पत्र से सम्मानित किया जाता है।
5. समस्त पुरस्कारों की राशि आयोज्य सत्र में उपलब्ध साधनों पर निर्भर रहेगी।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

ज्ञान के संचित कोष के रूप में इस महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय है। इसमें विभिन्न विषयों की लगभग 76500 पुस्तकें है। पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश पद्धति है। विद्यार्थी अध्ययन के लिए कोई भी पुस्तक स्वयं अलमारी से निकालकर पुस्तकालय में अध्ययन कर सकते है। पुस्तकालय की भाँति वाचनालय भी समृद्ध है। इसमें लगभग 130 पत्र–पत्रिकाएँ उपलब्ध रहती है। प्रमुख दैनिक समाचार पत्र भी उपलब्ध रहते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों एवं वाचनालय की पत्र–पत्रिकाओं का नियमित अधिकाधिक उपयोग करें।

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बिन्दु :–

1. यह पुस्तकाल केवल महाविद्यालय परिवार के लिए है।
2. विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को निम्नानुसार रीडर्स टिकिट दिये जाते हैं –

स्नातक कक्षाएँ	3 टिकिट
स्नातकोत्तर कक्षाएँ	5 टिकिट

3. रीडर्स टिकिट वार्षिक परीक्षा से पूर्व लौटाने अनिवार्य हैं।
4. एक रीडर्स टिकिट पर एक पुस्तक ली जा सकती है।
5. प्रत्येक पुस्तक अधिकाधिक 14 दिनों के लिए दी जाती है।

6. निर्धारित तिथि के बाद लौटाने पर 25 पैसे प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। इस सम्बन्ध में अत्यधिक अनियमितता होने पर विद्यार्थी को ''रीडर्स टिकिट'' की सुविधा से भी वंचित किया जा सकता है।

7. आरक्षित एवं संदर्भ पुस्तकों का उपयोग केवल पुस्तकालय भवन में ही किया जा सकता है।

8. 'रीडर्स टिकिट' अहस्तांतरणीय है, किसी अन्य विद्यार्थी को रीडर्स टिकिट पर पुस्तक नहीं दी जायेगी।

9. रीडर्स टिकिट खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने पर इसकी सूचना तत्काल पुस्तकालयाध्यक्ष को लिखित में देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में नया टिकिट प्राप्त नहीं हो सकेगा।

10. टिकिट खो जाने पर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्ति के समय 7 रू प्रति टिकट जमा करवाना अनिवार्य है

11. पुस्तकालय में प्रवेश, परिचय–पत्र दिखाने पर ही होगा। प्रवेशसे पूर्व विद्यार्थी को अपना परिचय–पत्र व अन्य सामान द्वारपाल को सौपना होगा। बाहर जाते समय विद्यार्थी पुनः अपना सामान प्राप्त करसकेगा।

12. पुस्तकालय की पुस्तकों व पत्र–पत्रिकाओं के पन्ने मोड़ना, चित्र फाड़ना, उन्हें क्षतिग्रस्त करना अथवा चुराना गंभीर एवं दण्डनीय अपराध हैं।

13. पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किसी पुस्तक को बिना कारण बताये देने से रोका जा सकता है। प्रदान की गई पुस्तक किसी भी समय वापस मँगवायी जा सकती है।

14. पुस्तक प्राप्त करते समय विद्यार्थी उसे भलीभाँति देख लें। तत्पश्चात पुस्तक की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व विद्यार्थी का होगा। पुस्तक किसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाने पर विद्यार्थी को उसका दुगुना मूल्य जमा कराना पड़ेगा। इसमें कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

15. पुस्तकालय एवं वाचनालय में शांति अपेक्षित है। शांति भंग करने वाले विद्यार्थी को पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय / वाचनालय से निष्कासित कर सकते हैं।

16. पुस्तकालय एवं वाचनालय में किसी भी प्रकार का अभ्रद व्यवहार या अनशासनहीनता बरतने पर विद्यार्थी को पुस्तकालय / वाचनालय सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

17. पुस्तकालय व वाचनालय से सम्बन्धित अन्य किसी प्रकार की जानकारी एवं सुझाव हेतु विद्यार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

छात्र कल्याण कार्यक्रम : विविध गतिविधियाँ

नॉलेज सेंटर :– राज्य सरकार की मॉडल कॉलेज योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में ''नॉलेज सेंटर''की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योग इकाइयों, बैंको एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराना है। इस सेंटर में विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में मानक कौशल के अनुरूप उच्च कोटि का दिशा–निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसमें अंग्रेजी भाषा–भाषण व लेखन क्षमता प्रदान करके उन्हें रोजगार की उपलब्धि सुनिश्चित कराना प्रमुख है।इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल एवं लैंग्वेज लेब की भी स्थापना की गयी है, जो विद्यार्थियों को क्रमशः रोजगार सूचनाएँ उपलब्ध कराने तथा अंग्रेजी भाषा में बोलचाल की निपुणता में अभिवृद्धि करने का भरसक प्रयास करती है।

यू.जी.सी. प्रकोष्ठ :–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध विभिन्न परियोजनाओं, विकास योजनाओं की जानकारी से अवगत कराना, विकास योजनाओं के क्रम में आधारभूत ढाँचे के विकास एवं निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार एवं यू.जी.सी. को प्रेषित करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित माईनर रिसर्च प्रोजेक्ट,

मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना व मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

शैक्षणिक व छात्र अधिष्ठाता :–प्राचार्य द्वारा सत्र के प्रारम्भ में मनोनीत शैक्षणिक व छात्र अधिष्ठाता विद्यार्थियों की कठिनाईयों को दूर करने में सहायता करते है तथा उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं।

बुक–बैंक :–महाविद्यालय द्वारा निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को सत्र भर के लिए पाठ्य–पुस्तके प्रदान की जाती हैं। इस सुविधा हेतु विद्यार्थी कार्यालय से सूचना प्रसारित होने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।

स्वास्थ्य–परीक्षण :–इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह देने का प्रावधान है।

'सतरंगिनी'/बुलेटिन का प्रकाशन :–विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा के उन्नयन हेतु महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका 'सतरंगिनी/बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। इनमें विद्यार्थियों की स्वरचित मौलिक रचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

छात्र–परामर्श केन्द्र :–इस केन्द्र द्वारा छात्रों को रोजगार , छात्रवृत्ति तथा उच्च स्तरीय शिक्षा के सम्बन्ध में सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

छात्र–संघ :–राज्य सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालय के संविधान के अनुरूप छात्रसंघ के चुनाव कराए जाते हैं तथा छात्रसंघ कार्यकारिणी की मंत्रणा एवं सहयोग से छात्रसंघ की विविध गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

<u>नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठा/प्लसमेंट सेल</u> :–

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी प्रवर्तित योजना का स्थानीय महाविद्यालय प्रमुख केंद्र हे। प्रत्येक युवा न केवल उच्च शिक्षा की और उन्मुख हो अपितु हर हाथ को कौशल सम्पन्न करने के ध्येय से स्थानीय महाविद्यालय मे प्रकोष्ठ गठित हे। इसके तत्वावधान मेन सत्रह पर्यंत कौशल विकासक दक्ष प्रशिक्षकों, संस्थानों द्वारा अतिथि व्याख्यान, कर्यशालाएं आयोजित की जाती हें। आयुक्तालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में सभी पात्र छात्राओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग, जीविकोपार्जन हेतु दक्षता कार्यक्रम नियमित संधारित किए जाते हें। यह प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को निम्न उल्लिखित गतिविधियों के चयन में सहयोग करेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नांकित गतिविधियों में एक का चयन अनिवार्य रूप से करना है, तथा सभी गतिविधियों की चयन प्राथमिकता देनी है। यह प्रकोष्ठ विद्यार्थी को एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा।

1. **एन.सी.सी :–** विद्यार्थियों में देश प्रेम अनुशासन की भावना विकसित करने की दृष्टि से एन.सी.सी. गतिविधि संचालित है। प्रवेष के इच्छुक छात्र, सत्र के आरम्भ में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु एन.सी.सी. के प्रभारी से सम्पर्क करें।
2. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :–** समाज सेवा से सम्बन्धित गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिकता एवं स्वावलम्बन का विकास किया जाता हैं। महाविद्यालय में एन.एस.एस की तीन इकाइयाँ संचालित हैं। इसकी नियमित गतिविधि में सम्पूर्ण सत्र में 240 दिन कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में विविध विषयों पर अभिविन्यास, वाद–विवाद, आशुभाषण, क्विज आदि कार्यक्रम, एक एक दिवसीय तीन शिविर एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किये जाते है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सेवकों को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है। एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं है। अतः इच्छुक विद्यार्थी एन.एस.एस. में पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र भरे, जो प्रभारी अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

3 **रोवरिंग व रेन्जरिंग (स्काउटिंग):–** इस प्रवृत्ति के द्वारा विद्यार्थियों में परस्पर भ्रातृत्व, देशभक्ति राष्ट्रीयता, सेवाभावना, अनुशासन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता है।

4 **युवा विकास केन्द्र :–** इस केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। प्रसार भाषणों का आयोजन किया जाता है। तृतीय वर्ष कला, वाणिज्य व विज्ञान तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए यह प्रकोष्ठ केरियर, रोजगार सम्बन्धी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराता है।

5 **मानवाधिकार क्लब :–** विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान भाव विकसित करने मानवाधिकारों की जानकारी से अवगत कराने बावत प्रकोष्ठ समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है।

6 **महिला अध्ययन प्रकोष्ठ :–**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार राज्य में महिला शिक्षा प्रसार हेतु (केवल छात्राओं के लिए) महाविद्यालय में महिला शिक्षा केन्द्र संचालित है। इस केन्द्र के संचालन हेतु 20 रू वार्षिक शुल्क निश्चित है। इसी के अन्तर्गत छात्रा सलाहकार परिषद् गठित की गई है, जो छात्राओं के विकास हेतु समय–समय पर उनका मार्गदर्शन करती है।

❖ **आप उक्त जिन गतिविधियों में भाग लेना तय करें उसे प्राथमिकता क्रम मे दर्शाए।**

उपभोक्ता क्लब :– युवा छात्रों को उपभोक्ता मामलों की जानकारी और जागरूकता निमित्त प्रकोष्ठ द्वारा व्याख्यान, कार्यशाला, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हे। इसके माध्यम से रोज़मर्रा के जीवन में, शैक्षिक, सरकारी कामकाजों में उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता की वृहद जानकारी प्रदान की जाती हे।

खेलकूद :–महाविद्यालय में प्रायः सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था है । छात्राओं के लिए भी खेलों में भाग लेने की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय के विशाल परिसर में ही अनेक खेलों के मैदान हैं। खेल समिति द्वारा योग्यता के आधार पर विविध खेलों के कप्तानों का चयन होता है। सत्रान्त में वार्षिकोत्सव पर विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ियों को प्रशंसा–पत्र द्वारा सम्मानित किया जाता है।

पर्यावरण मंच :–महाविद्यालय में पर्यावरण मंच के अन्तर्गत पर्यावरण सम्बन्धी चेतना हेतु समय–समय पर विविध प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

रोड़ सेफ्टी क्लब :–यह क्लब विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित यातायात व्यवहार के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए परामर्श का कार्य करता है।

यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति :– यह समिति उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों की पालना के क्रम में अपेक्षित प्रचार–प्रसार एवं यौन उत्पीड़न शिकायतों के निस्तारण के लिए वार्ताएँ एवं परिचर्चा आयोजित करती है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

विभिन्न शैक्षणिक परिषदें

स्नातकोत्तर परिषद् (P.G Seminar):– समस्त स्नातकोत्तर विषयों में इन परिषदों के माध्यम से विषय की वार्ताएँ, पत्रवाचन, परिसंवाद, वाद–विवाद सर्वेक्षण आदि विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

प्लानिंग फोरम :–यह फोरम समस्त संकायों के विद्यार्थियों की एक सम्मिलित संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नियोजन के प्रति चेतना जाग्रत करना है। इस हेतु समय–समय पर फोरम द्वारा संगोष्ठियाँ वाद–विवाद, लेख, प्रसार–भाषण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभिन्न समितियाँ :–महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सत्र के प्रारम्भ में विद्यार्थियों की विविध समस्याओं के निराकरण हेतु विविध समितियाँ बनाई जाती हैं। जिनकी सूची सूचना पट्ट पर भी लगाई जाती है। विद्यार्थी अपनी समस्याओं के निराकरण या किसी जानकारी के सम्बन्ध में सम्बद्ध संयोजक/प्रभारी/सदस्य से सम्पर्क कर सकते हैं।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU–इग्नू) अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र कक्ष संख्या (4) में संचालित है। सेवारत होने के कारण, अन्य कारणों से जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह केन्द्र ''विश्वविद्यालय आपके घर आँगन आपके द्वार'' जैसी सुविधा प्रदान कर रहा है। यहाँ प्रवेश नियम एवं परीक्षा पद्धति को सरल और उदार बनाया गया है, क्योंकि छात्र कहीं भी प्रवेश फार्म भरकर, कहीं से भी परीक्षा देने में समर्थ है तथा जून व दिसम्बर वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित की जाती है। जिसमें परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी भी अपनी अकादमिक डिग्री के साथ–साथ 'इग्नू' द्वारा संचालित कौशल विकासक वोकेशनल कोर्स, कम्प्यूटर कोर्स आदि अन्य पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन कराकर DUAL DEGREE का लाभ उठा सकते है, क्योंकि यहाँ अध्ययन हेतु माइग्रेान सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अकादमिक डिग्री के साथ वोकेशनल डिग्री होने पर बेहतर भविष्य का निर्माण करने की अत्यधिक संभावनाएँ हैं।

'इग्नू' द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1. एम.ए. –हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, रूरल डवलपमेंट इत्यादि।
2. बी.ए., बी.कॉम, बी.पी.पी., बी.एस.डब्ल्यू. आदि।
3. मैनेजमेंट प्रोग्राम – एम.बी.ए., एम.बी.एफ., डी.आई.एम. आदि।
4. कम्प्यूटर प्रोग्राम – एम.सी.ए, बी.सी.ए, सी.आई.सी., सी.एल.पी. आदि।
5. डिप्लोमा एण्ड – PGDRD, PGJMC,DCE,DCH,CES,CFN,CNCC, Nursing etc.सर्टिफिकेट प्रोग्राम
6. बी.एड. इत्यादि।

इसके अतिरिक्त छात्राओं के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जैसे – परिवार शिक्षा एवं HIV में सर्टिफिकेट कोर्स, भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट कोर्स (CFN) पोषण व शिशु देखभाल (CNCC) फल व सब्जियों के मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा कोर्स इत्यादि। विस्तृत जानकारी हेतु दूरभाष 02962–255425 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

महाविद्यालय सेवा में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

सत्र 2022—23

प्राचार्य – डॉ. सीमा भूपेन्द्र

उपाचार्य (2)

1. रिक्त
2. रिक्त

समाजशास्त्र विभाग (08)

1. डॉ. अलका रस्तोगी
2. डॉ. आशीष कुमार
3. श्री जाकिर हुसैन

अर्थ शास्त्र विभाग (04)

1.

इतिहास विभाग (04)

1. श्री किंशुक शर्मा
2. रिक्त

भूगोल विभाग (11)

1.
2.

उर्दू विभाग (01)

1. श्री फिरोज खान

दर्शन शास्त्र विभाग (01)

1. डॉ. अंजना रानी

चित्रकला विभाग (03)

1. डॉ. लक्ष्मण सरगडा
2.

हिन्दी विभाग (09)

1. डॉ. मनोज कुमार पण्ड्या
2. डॉ. नरेन्द्र कुमार पानेरी
3. श्री रतनपाल डोडियार
4. श्री कृष्ण बलदेवसिंह राठौड
5.
6.

गणित विभाग (03)

1.

व्यावसायिक प्रशासन विभाग (04)

संगीत विभाग (01)

1. डॉ. ममता

अंग्रेजी विभाग (05)

1. श्री दिनेश चन्द्र रावत
2.
3. रिक्त

राजनीति विज्ञान विभाग (08)

1. डॉ. किरण पूनिया
2. श्री महेन्द्र कुमार मीणा
3.

संस्कृत विभाग (10)

1. श्री रामरज सिंह
2. डॉ. राजेश कुमार जोशी
3. श्रीमति लीना पुरोहित
4.

भौतिक शास्त्र विभाग (02)

1.

वनस्पति शास्त्र एवं एफ. आर. यू. विभाग (10)

1. डॉ. शफकत राना
2. डॉ. फतेहसिंह भगोरा
3. श्री नीरज श्रीमाली

प्राणी शास्त्र विभाग (3)

1. डॉ. अजरा परवीन
2. श्री प्रकाश किंकोड
3. श्री सम्पत राम मीणा

गृह विज्ञान विभाग (01)

1. रिक्त

1. रिक्त

लेखा एवं सांख्यिकी विभाग (04)

1. श्री शिवलाल परमार

बैंकिग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग (04)

1. रिक्त

रसायन शास्त्र विभाग (10)

1. डॉ. बी.के. शर्मा
2. डॉ. प्रीति आमेटा
3. डॉ. ए.के. काकोड़िया
4. श्री प्रवीण मीणा
5. डॉ. अर्पित कुमार पाठक
6. श्री अनिल कुमार
7.

1. रिक्त

पुस्तकालयाध्यक्ष (01)

1. रिक्त

शारीरिक प्रशिक्षक (01)

1. रिक्त

कृषि संकाय (03)

1. डॉ. आर.के. शर्मा
1. डॉ. जी. पी. आचार्य
1. रिक्त

कार्यालय एवं प्रयोगशाला अधिकारी एवं कर्मचारी

सत्र 2022—23

कार्यालय अधीक्षक (01)
1. रिक्त

कार्यालय सहायक (02)
1.श्री मगनलाल बरजोड
2. श्री राजीव शाह

वरिष्ठ लिपिक (02)
1.

कनिष्ठ लिपिक (02)
1. श्री मुकेश शुक्ला
2. रिक्त

प्रयोगशााला सहायक (06)
1. श्री राजेन्द्र पटेल
2.
3.
4.

तकनीकी सहायक (01)
1. श्री लक्ष्मणलाल अंगारी

क्षैत्रिक (01)
1. श्री रायसिंह राणावत

तबला वादव (01)
1. श्री उमेश चन्द्र शाह

गैस मेन (01)
1. श्री दिलीप कुमार निनामा

प्रयोगशाला वाहक (04)
1.रिक्त

सहायक कर्मचारी

जमादार (01)
1. रिक्त

दफ्तरी (01)
1. रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (19)
1. श्री नटवरलाल भोई
2. श्री कान्ति
3. श्री खुमानसिंह
4. श्री रंगलाल
5. श्री नाथु भगोरा
6. श्रीमती शकुन्तला
7. श्री कचरू
8. श्री धारजी
9. श्री गौतमलाल

बुक लिफ्टर (02)
1. श्री दलसिंह

मैकेनिक (01)
1. श्री जयन्तिलाल शर्मा
2.

मशीन मेन (01)
1.
2.

<u>प्रवेश समिति 2022-23</u>

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में **<u>प्रथम वर्ष *ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया*</u>** के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. डॉ. अलका रस्तोगी – **नोडल अधिकारी**
2. डॉ. आशीष कुमार – सदस्य
3. डॉ. कृष्ण बलदेव सिंह राठोड – सदस्य
4. डॉ. लक्ष्मण सरगड़ा – सदस्य
5. डॉ. अर्पित पाठक – सदस्य
6. श्री राजीव शाह – लिपिक, सदस्य

➢ यू. जी. ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया की मोनेटरिंग **डॉ. आर. के. शर्मा (कृषि)** करेंगे।

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में **<u>स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध</u>** में **<u>ऑन–लाइन प्रवेश प्रक्रिया</u>** के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की कमेटी का गठन किया जाता है :–

1) श्री रतनपाल डोडियार – **प्रभारी, नोडल अधिकारी**
2) डॉ. महेन्द्र कुमार मीणा – सदस्य
3) प्रो. प्रवीण मीणा – सदस्य
4) प्रो. नीरज कुमार श्रीमाली – सदस्य
5) प्रो. प्रकाश किन्कोड़ – सदस्य
6) श्री सागर व्यास – सदस्य

➢ पी. जी. ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया की मोनेटरिंग **डॉ. बी. के. शर्मा** करेंगे।

SEATS MATRIX : NUMBER OF SEATS AVAILABLE(UG CLASSES) 2020-21

College Name :	SHRI GOVIND GURU GOVT. COLLEGE , BANSWARA							
Sr. No.	Class	No. of Sections	Total No. Seats	General Category (No. of Seats)				
				Total (50% of D)	PH Ortho (3% of E)	Kashmiri Migrant (1% of E)	Defence (3% of E)	Others (E-(F+G+H))
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	B. A. Pt I	23	1840	847	25	8	25	789
2	B. Com Pt I	2	160	74	2	1	2	69
3	B. Sc. (Maths) Pt I	1	70	33	1	0	1	31
4	B. Sc. (Bio) Pt I	2	140	64	2	1	2	59

Sr. No.	Class	No. of Sections	Total No. Seats	SC Category (No. of Seats)				
				Total (16% of D)	PH Ortho (3% of J)	Kashmiri Migrant (1% of J)	Defence (3% of J)	Others (J-(K+L+M))
A	B	C	D	J	K	L	M	N
1	B. A. Pt I	23	1840	294	9	3	9	273
2	B. Com Pt I	2	160	25	1	0	1	23
3	B. Sc. (Maths) Pt I	1	70	11	0	0	0	11
4	B. Sc. (Bio) Pt I	2	140	22	1	0	1	20

Sr. No.	Class	No. of Sections	Total No. Seats	ST Category (No. of Seats)				
				Total (12% of D)	PH Ortho (3% of O)	Kashmiri Migrant (1% of O)	Defence (3% of O)	Others (O-(P+Q+R))
A	B	C	D	O	P	Q	R	S
1	B. A. Pt I	23	1840	221	7	2	7	205
2	B. Com Pt I	2	160	20	1	0	1	18
3	B. Sc. (Maths) Pt I	1	70	9	0	0	0	9
4	B. Sc. (Bio) Pt I	2	140	17	1	0	1	15

Sr. No.	Class	No. of Sections	Total No. Seats	OBC Category (No. of Seats)				
				Total (21% of D)	PH Ortho (3% of T)	Kashmiri Migrant (1% of T)	Defence (3% of T)	Others (T-(U+V+W))
A	B	C	D	T	U	V	W	X
1	B. A. Pt I	23	1840	386	12	4	12	358
2	B. Com Pt I	2	160	33	1	0	1	31
3	B. Sc. (Maths) Pt I	1	70	14	0	0	0	14
4	B. Sc. (Bio) Pt I	2	140	30	1	0	1	28

Sr. No.	Class	No. of Sections	Total No. Seats	SBC Category (No. of Seats)				
				Total (1% of D)	PH Ortho (3% of Y)	Kashmiri Migrant (1% of Y)	Defence (3% of Y)	Others (Y-(Z+AA+AB))
A	B	C	D	Y	Z	AA	AB	AC
1	B. A. Pt I	23	1840	92	3	1	3	85
2	B. Com Pt I	2	160	8	0	0	0	8
3	B. Sc. (Maths) Pt I	1	70	3	0	0	0	3
4	B. Sc. (Bio) Pt I	2	140	7	0	0	0	7